न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्या:– 65 / 2023 तारीख रजू 15.09.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
..........आवेदक

बनाम

1. अनुपम गौतम पुत्र श्री मदन लाल गौतम निवासी रूचि किराना स्टोर, बैंक ऑफ बडौदा के सामने बजरिया, सवाई माधोपुर (फर्म मालिक) मैसर्स संकल्प डिपार्टमेन्टल स्टोर, दुकान नं03, होटल वृन्दावन के पास, जानकी नगर, रणथम्भौर रोड, सवाईमाधोपुर।

मुताबिक आदेश दिनांक 18/7/24
2. हर्षा बढाया पत्नि मृदुल बढाया, नि॰ प्लाट नं 57-58, ड्रीम होम सोसायटी, विष्णु गार्डन कॉलोनी, टोंक रोड, सांगानेर जयपुर 302011 (फर्म मालिक) मैसर्स छोटी लाल लकड़ा एंड कम्पनी, शॉप नं. 408, घाटगेट, रामगंज, जयपुर... अभियुक्तगण
3. मैसर्स छोटी लाल लकड़ा एंड कम्पनी, शॉप नं. 408, घाटगेट, रामगंज, जयपुर

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एवं 2 (v)/धारा 52 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

निर्णय:– दिनांक 16.07.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के अन्तर्गत आवेदक दिनांक 16.09.2022 को समय 12.30 पी.एम. पर मैसर्स संकल्प डिपार्टमेन्टल स्टोर, रणथम्भौर रोड जिला सवाई माधोपुर पहुंचा आवेदक द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन, खाद्य अनुज्ञापत्र एवं स्वयं का आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की। आवेदक द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु **Barik Besan (Lakda Ji Brand)** 500 ग्राम के लगभग 15 पैकिट्स विक्रय हेतु रखकर बेचा जा रहा था। **Barik Besan (Lakda Ji Brand)** 500 ग्राम पौलीपैक में मिलावट का अंदेशा होने पर **Barik Besan (Lakda Ji Brand)** 500 ग्राम के 4 पैकिट्स को खरीदा उसकी कीमत 180/– रूपये विक्रेता अनुपम को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर उपस्थित विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान बाबूलाल तगाया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे अनुपम ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति अनुपम को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Barik Besan (Lakda Ji Brand)** 500 ग्राम के 04 पैकिट्स को प्लास्टिक के जार में एक–एक डालकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

माधोपुर के कोड एवं **H-2434** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **H-2434** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/123 दिनांक 21.10.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2783/एक्ट/2022/2815 दिनांक 29.09.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ Barik Besan (Lakda Ji Brand)** 500 ग्राम **Misbrand Food under Section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act, 2006** प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा **Misbrand Barik Besan (Lakda Ji Brand)** 500 ग्राम का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने **Misbrand Barik Besan (Lakda Ji Brand)** 500 ग्राम का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त संख्या 1 ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त संख्या 1 मात्र विक्रेता है जिसने निर्माता कम्पनी अभियुक्त संख्या 3 से जिस हालत में माल खरीदा है उसी हालत में विक्रय किया। प्रार्थी ने वाद ग्रस्त खाद्य पदार्थ जरिये बिल क्रय किय है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

किन्ही सूक्ष्म कारणों से उक्त खाद्य पदार्थ को मिस ब्राण्ड माना जाता है तो उक्त संबंध में सभी दायित्व निर्माता कम्पनी के हैं। अभियुक्त संख्या 1 का उक्त संबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं है। अन्त में अभियुक्त संख्या 1 के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्रॉप फरमाने का निवेदन किया गया।

अभियुक्त संख्या 2 लगायत 3 ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधि अनुसार सेम्पल लेने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त सारी कार्यवाही रंजिशवश एवं सरकारी आंकडा पूरा करने के लिए की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने किन गवाहों के समक्ष नमूना लिया और विक्रेता के हस्ताक्षर किस गवाह के समक्ष करवाये। नमूना लेते समय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं खाद्य सुरक्षा मानक नियम 2011 की पालना नहीं की है। सेम्पल हेतु द्वितीय ऑपिनियन लेने हेतु कोई नोटिस नहीं दिया गया है। जांच में लिया गया बारीक बेसन (लकडा जी ब्राण्ड) का नमूना मिस ब्राण्ड बताया है लेकिन वह मिसब्राण्ड कैसे है यह कहीं भी नहीं लिखा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फौरी तौर पर जांच कर अस्पष्ट जांच रिपोर्ट पेश की है। इसलिए आवेदन खारिज योग्य है। अन्त में अभियुक्त संख्या 2 लगायत 3 के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्रॉप फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व अभियुक्तगण के जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2783/एक्ट/2022/2815 दिनांक 29.09.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ Barik Besan (Lakda Ji Brand)** 500 ग्राम मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा यह कथन कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सेम्पल लेने के लिये सक्षम अधिकारी नहीं हैं, गलत प्रतीत होता है क्योंकि आवेदन के साथ संलग्न राजस्थान गजट विशेषांक दिनांक 26 जुलाई 2011 के द्वारा श्री वेदप्रकाश पूर्विया एल.टी. को खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। तथा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 2714 दिनांक 01.09.2022 के द्वारा श्री वेदप्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन सवाई माधोपुर जिले में किया गया है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सेम्पल लेने हेतु सक्षम थे तथा उनके द्वारा की गई कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत की गई है। फार्म नं. 5ए में विटनेस संख्या 1 पर गवाह बाबूलाल के हस्ताक्षर मौजूद है साथ ही एफबीओ के स्थान पर अनुपम के हस्ताक्षर है। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने पत्र दिनांक 21.10.2022 के द्वारा अभियुक्त संख्या 1 को जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं पाये जाने पर एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 46(4) के अन्तर्गत नमूने की रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु लिखा गया है जिससे अभियुक्त का कथन की उन्हें द्वितीय ऑपिनियन हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया सही प्रतीत नहीं होता है। खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 29.09.2022 के अनुसार उत्पाद के पैकेट पर Batch No., Date of Mfg./Pkg., Expiry/Use by date, नहीं होने तथा न्यूट्रिशिनल इन्फोर्मेशन में per serve percentage contribution to Recommended dietary allowance (RDA) and amount of Sodium not given on the label of sample, के

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

कारण नमूना Cortravention of Regulation No. 4(7), 5(3)(b) and 5(10)(a) of Food Safety and Standards (Lebelling and Display) Regulation, 2020 के तहत मिसब्राण्ड पाया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ मावा** का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 पर 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) तथा अभियुक्त संख्या 2 लगायत 3 पर संयुक्त रूप से 50,000/–रू0 (अक्षरे पचास हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **16.07.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर